(पेज नं. 2?)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

तहसीलदार सूरतगढ़ बनाम देवीलाल व अन्य

किस्म मुकदमाः–177 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–47/2014 GCMS:-2014/00226

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थीगण के नाम से चक 110 आरडीएल के पत्थर नं. 128/39 के किला नं. 1 की भूमि वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 कृषि योग्य कार्य ही कर सकता है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर गैर कृषि योग्य कार्यवाही जिप्सम खनन/पक्की दुकान वगेरा का कार्य कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमों व प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि योग्य भूमि पर अकृषि कार्य कारित कर राष्ट्रीय हित को हानि पंहुचाई है। अकृषि कार्य हेतु उनके द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नही ली गई है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि योग्य भूमि में किया गया कार्य विधि व नियमों के विपरित होने के कारण अप्रार्थीगण के अधिकार सम्पात किये जाकर रकबा राज घोषित किया जाकर जैर प्रकरण रकबा का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि जैरप्रकरण रकबा चक 110 आर0डी0एल0 के पत्थर नं. 128/29 का किला नं. 1 खातेदारी भूमि है। इसके अतिरिक्त किला नं. 2 व 3 में भी खातेदारी भूमि है। जैरप्रकरण रकबा का विधिवत् रूपान्तरण हेतु पूर्व में भी आवेदन कर दिया गया था। इसके बाद पुनः आवेदन संख्या एलसी/2025–26/250574 दिनांक 12.11.2025 से भूमि रूपान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। कृषि भूमि को अकृषि रूपान्तरण नियमों के नियम 13 के तहत रूपान्तरण से पूर्व के निर्माण को निर्धारित शुल्क जमा करवाने नियमन करने का प्रावधान है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जैरप्रकरण रकबा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से खातेदारी अंकित है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने नाम से अंकित रकबा का भूमि रूपान्तरण हेतु अपना ऑनलाईन प्रार्थना पत्र संख्या एलसी/2025–26/250574 दिनांक 12.11.2025 को प्रस्तुत किया हुआ है। किसी भी खातेदार कृषक को उसे अपनी कृषि भूमि का अकृषि प्रयोनजार्थ संपरिवर्तिन करवाने का विधिक रूप से अधिकार है। यदि कृषि भूमि का अकृषि प्रयोनजार्थ संपरिवर्तन के समय मौका पर उपयोग मुताबिक रिपोर्ट पाया जाता है तो इसके संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन नियम–2007 के नियम–17 के तहत शास्ति आवेदक से वसूल किये जाने का प्रावधान है। जिसे अप्रार्थी जमा करवाने को तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) में परिभाषित किया गया है कि "ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निदेश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान करे जो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा का, लागत के अलावा अन्य किसी का निष्पादन नही किया जावेगा।" प्रकरण में अप्रार्थी–2 ने भूमि संपरिवर्तन हेतु आवेदन कर रखा है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:09 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सं. :– 47 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2026	अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का भू–रूपातंरण का प्रार्थना पत्र एलसी / 2025–26 / 250574 दिनांक 12.11.2025 विचाराधीन है। आवेदित भूमि पर मौका पर निर्माण है। अप्रार्थी स्वयं नियमानुसार जुर्माना राशि जमा करवाने को तैयार है तथा मौका पर निर्माण होने पर संपरिवर्तन नियमों में शास्ति वसूल करने के प्रावधान है। इसलिये यदि तीन महीनें के भीतर उनके वसूल की जाने वाली शास्ति जमा करवा दे तो नियमानुसार संपरिवर्तन की कार्यवाही कर दी जावे। यदि अप्रार्थी तीन महिने के भीतर जुर्माना / शास्ति की राशि जमा नही करवाता है तो जैरप्रकरण रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर भूमि को राजस्व रिकार्ड में रकबा [illegible] जाकर अवगत करवायें। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में [illegible] गया। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.25 17:11:09 IST
Reason: SelfAttested